राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 430 / 2024

के.सी. मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. विशिष्ट सचिव, वन, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. राजेन्द्र कुमार गुप्ता, डीसीएफ का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर बेंगू परियोजना में।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप वन संरक्षक के पद पर परियोजना बेंगू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.10.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान से विधि कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, कोटा में स्थानान्तरण किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण सहायक वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर से अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किया जाकर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया था। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, जो वन विभाग की स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–2) का उल्लंघन है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर उप वन

संरक्षक, परियोजना बेंगू में कार्यरत रखा जावे और वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 23.02.2024 को अपील में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 20.02.2024 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.02.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है (अनुलग्नक–आर/1) तथा आदेश दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक–आर/2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्य का अंकन अपील में नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.09.2023 (अनुलग्नक–आर/4) के द्वारा वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी को सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल) से उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल) के पद पर पदोन्नत किया गया था। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.09.2023 को उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर में उपस्थिति प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापन किया गया है। उक्त तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से विधि कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, कोटा में राज्यहित में किया गया है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण/पदस्थापन उप वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर किया गया है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस कथन पर विचार किया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण/पदस्थापन उप वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर किया गया है। यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर

पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।

6. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
8. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)